



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 24 अप्रैल, 2019 ई0
बैशाख 04, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1

संख्या 220/IX-1/313(2009)/2019
देहरादून, 24 अप्रैल, 2019

रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र दिनांक 1835/xiii-f-1/ Admin.A/2004, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के क्रम में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-89 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कहकशा खान, विधि सलाहकार, मा0 राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सरकार को अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलिय न्यायाधीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर अतिरिक्त कार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्रीमती राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।